

## रिजर्व बैंक - समेकित लोकपाल योजना, 2021

## मुख्य विशेषताएँ

लोकपाल योजना में ग्राहकों का शामिल हैं

सभी डिपॉजिट लेने वाले  
एनबीएफसी के ग्राहकसंपत्ति आकार  $\geq$  ₹. 100 करोड़ + ग्राहक इंटरफेस वाले एनबीएफसी  
(इनके अलावा: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ, कोर इनवेस्टमेंट कंपनियाँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड  
और लिक्विडेशन के अधीन एनबीएफसी)“सेवा में कमी” का अर्थ है नियमित संस्था द्वारा कानूनी या अन्य कारण से दी जाने वाली किसी भी आवश्यक वित्तीय सेवा में किसी तरह की  
कमी या अपर्याप्तता, जो ग्राहक के लिये आर्थिक नुकसान या हानी का कारण बन सकती है और नहीं भी

## शिकायत का आधार

कोई भी ग्राहक किसी नियमित संस्था द्वारा सेवा की कमी का रूप लेने वाले कार्य या गलती की शिकायत इस योजना के अंतर्गत स्वयं या  
किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा “सेवा में कमी” की परिभाषा के अंतर्गत दर्ज कर सकता है

## शिकायत के लागू न होने के आधार

इस योजना के अंतर्गत अस्वीकार की जाने वाली शिकायतों के बारे में जानने के लिये, कृपया आरबीआइ लोकपाल  
योजना, 2021 का परिच्छेद 10 देखें

## ग्राहक शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है?

संबद्ध  
एनबीएफसी  
को लिखित  
पत्राचारमहीने के  
अंत मेंअगर एनबीएफसी से कोई जवाब  
नहीं आता या ग्राहक एनबीएफसी  
के जवाब से असंतुष्ट हैअगर ग्राहक ने किसी  
न्यायपालिका से संपर्क  
नहीं किया हैआरबीआइ लोकपाल  
के पास शिकायत दर्ज करें  
(एनबीएफसी के जवाब के  
एक वर्ष के भीतर)प्रिंसिपल नोडल अधिकारी का नाम  
और संपर्क विवरण

नाम : Mr. Arijit Sen

टेलीफोन : 08045860196

ईमेल आईडी : grievance.finance@adityabirlacapital.com

सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (सीआरपीसी) के संपर्क विवरण

लोकपाल का शिकायत दर्ज करनेवाला पोर्टल:

<https://cms.rbi.org.in>पता: : सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर,  
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4थी मंज़िल,  
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें : 14448

सुबह 9:30 से शाम 5:15 के बीच

## लोकपाल निर्णय कैसे लेता है?

- लोकपाल के समक्ष की प्रक्रियाएँ संक्षिप्त होती हैं
- समझौते द्वारा निपटान को बढ़ावा दिया जाता है → समझौता न होने पर फैसला/आदेश जारी किया जा सकता है

## क्या लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट होने पर ग्राहक अपील कर सकता है?

हाँ, अगर लोकपाल का निर्णय अपील योग्य है, तो अपेलेट अधिकारी - इस योजना का संचालन करने वाले रिजर्व बैंक के विभाग के कार्यकारी  
निदेशक से संपर्क करें

ध्यान दें: • यह एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली है

- ग्राहक किसी भी चरण पर समाधान के लिये किसी अन्य न्यायालय/न्यायपालिका/प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है
- योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) देखें

## आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

(आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

वन वर्ल्ड सेंटर, टॉवर 1-सी, 18वीं मंज़िल, 841, ज्युपिटल मिल कम्पाउंड,

सेनापति बापट मार्ग, एल्फिंस्टन रोड, मुंबई 400 013.

+91 22 4356 7100 | (फैक्स) +91 22 4356 7266 | टोल-फ्री नंबर 1800-270-7000

care.finance@adityabirlacapital.com | <https://abfl.adityabirlacapital.com>

पंजीकृत कार्यालय:

इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल,

गुजरात - 362 266

सीआयएन: U65990GJ1991PLC064603



intertek